



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/3090  
प्रति,

दिनांक : 27/06/16

प्राचार्य,  
सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय,  
नीमच।

**विषय :** विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियमक्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

**संदर्भ :-** महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/33, दिनांक 13.06.2015

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2016 में प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016-17 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्न अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1	एम.एस.डब्ल्यू. पूर्वाह्न	40

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/संबद्धता/2016/3091

दिनांक : 27/06/16

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. प्राचार्य, संबंधित अग्रणी महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, उज्जैन।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।  
को ओर सूचनायें।

10/2  
27/6  
प्रो. इं. चार्ज (अकादमिक)



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्र./अका./सम्बद्धता/2015/4014

--: सूचना :-

दिनांक :- 5/8/15

शिक्षा सत्र 2015-16 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/पूर्व संवालित पाठ्यक्रम/विषय की आगामी कक्षा/ निरंतरता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय की निरीक्षण समिति का गठन माननीय कुलपतिजी द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27 के अंतर्गत निम्नानुसार किया गया है :-

- A महाविद्यालय का नाम :- शा. एस.आर. जाजू कन्या महाविद्यालय, नीमच।
- B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- एम.एस.डब्ल्यू.
- C समिति के सदस्यों के नाम :-
- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 01. प्रो.तपन चौरे        | - | संयोजक - विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन। |
| 02. प्रो.ज्योति उपाध्याय | - | सदस्य - विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।  |
| 03. डॉ.मनु गोरहा         | - | सदस्य - प्राध्यापक, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।    |

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है, कि वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वार्षिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम, आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाएं अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडियोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करे, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडियोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता, तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)

दिनांक :- 5/8/15

क्र./अका./सम्बद्धता/2015/4015

प्रतिलिपि :-

1. समिति के उपरोक्त सदस्यगण।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि, संयोजक निरीक्षण समिति से संपर्क कर अविलम्ब महाविद्यालय का निरीक्षण कराये। यदि निरीक्षण नहीं कराते है, तो सम्बद्धता/निरंतरता प्रदान करने में हुई विलम्बता के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
3. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय कृपया स्टॉफ, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपलब्ध संसाधनों की जानकारी सी.डी.में अनिवार्यतः निरीक्षण समिति को उपलब्ध कराये जिससे की उक्त शिक्षा विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार उक्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा सके।
4. कुलपतिजी एवं कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Dextop/ZLS-2015/217

अनुभाग अधिकारी(अकादमिक)

आदेशानुसार उक्त समिति को सत्र 2016-17 में  
महा. का निरीक्षण किया जाना, पुनः आदेशानुसार किया जायेगा।

3-6-16 S.O. (Acad)